


04.10.2024:-पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य में आपस में राजीनाम हो गया है इसलिए प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। इसलिए प्रार्थना पत्र को वर्तमान स्तर पर खारिज (विज्ञा) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना का वाद पत्र मौजूदा सूरत में विज्ञा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



वादी अधिवक्ता
दफ्तर
मुंबई

